

2022/212

फर्द अहकाम

मूल्मा बनाम राजपूत

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 133/12

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस T-I दिनांक 16/12/2022 को पेश हो।
	16/12/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस T-I हेतु दिनांक 20/12/22 को पेश हो।
	20/12/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रपक्ष उपस्थित। पत्रावली में प्रा-पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 27/12/22 को पेश हो।
	27/12/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वकील/प्रार्थी श्री सुधीर शर्मा हाजिर। अधिवक्ता प्रतिवादी सं। लगायत 4 धीसनातन पारीक उपास्थित। प्रतिवादी सं. 5 व 6 ना तो स्वयं उपास्थित हैं और ना ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपास्थित अतः अप्रार्थी सं. 5 व 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगा 4 की प्रार्थना-पत्र अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा पर पूर्व में बहस सुनी जा चुकी है।

शुल्का वनाम राकफ्त

नाम न्यायालय

राज्यक कलक्टर बस्ती जिला बस्ती

केस संख्या 133/21

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>दौराने बस्स जाहिर तथ्यों, न्यायिक दृष्ट्यान्ती एवं पत्रावली मय फस्तवैजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्र वाद-पत्र की मद संख्या - 02 में वर्णित प्रश्नगत भूमि में से खसरा नम्बर 98/1 पर पहले से ही गाम न्यायालय, बस्ती के यथास्थिति रखे जाने के आदेश हैं। अतः उक्त खसरा नं० 98/1 के सम्बन्ध में कोई अन्य अस्थायी आदेश दिया जाना उचित नहीं समझते। विवादग्रस्त भूमि के अन्य खसरा नम्बरान 100, 315, 414/98, 420/98, 444/98, 98/2 कुल किता 6 कुल रकबा 1.51 है० पर उभयपक्षकारान की ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। मौके की यथास्थिति इस कदर बनाये रखीं कि वाद-कारण उत्पन्न होने की दिनांक 19/07/2022 की कब्जे के अनुसार काश्त करने एवं विजली, पानी, बैंक लोन जैसी</p>	

2022/22

फर्द अहकाम

मूल्य बनाम रामकूल

नाम न्यायालय सहायक कलेक्टर बरसी

केस संख्या 133/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>सुविधाओं के अतिरिक्त मौके पर अन्य परिवर्तन नहीं करेंगे। ना ही अन्य कोई नवीन निर्माण कार्य करेंगे।</p> <p>फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>